



**प्रारूप संख्या एसटीके-6**

**सार्वजनिक सूचना**

{कम्पनी अधिनियम की धारा 248 की उपधारा (2) और उपधारा (4) और कम्पनी (कम्पनी रजिस्टर से कम्पनियों का नाम हटाना) नियम, 2016 के नियम 7 के अनुसरण में}

सार्वजनिक नोटिस :ROC/C-PACE/STK-2/248(2)/2024-25/716

दिनांक: -07/08/2024

**संदर्भ:**

1.कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 (2) के तहत निम्नलिखित (13) कम्पनियों का नाम **पश्चिम बंगाल** राज्य से हटाने के मामले में:

S No.	Work Item	CIN	Hindi Name
1	AA9245806	U65990WB2022PTC257828	ईएफसी कैपिटल फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड
2	AA9510083	U72900WB2000PTC091534	सोम दत्त इन्फोसॉफ्ट प्राइवेट लिमिटेड
3	AA9375300	U20119WB2024PTC268083	वेकर डब्ल्यूएमसी मैनुफैक्चरिंग प्राइवेट लिमिटेड
4	AA9457840	U23999WB2024PTC267406	छायाबती ऑर्गेनिक्स प्राइवेट लिमिटेड
5	AA9231337	U64204WB2022PTC259232	मेमोफैक प्राइवेट लिमिटेड
6	AA9324357	U65990WB2022PLN250750	बौंड पोरिबर निधि लिमिटेड
7	AA9255161	U65990WB2021PLN250380	सहनाज इंडिया निधि लिमिटेड
8	AA9532667	U74999WB2021PTC245988	बैकयार्ड वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड
9	AA9064739	U52609WB2017PTC221259	वीजेएम हब प्राइवेट लिमिटेड
10	AA9543188	U31909WB2017OPC222501	शिखापी (ओपीसी) प्राइवेट लिमिटेड
11	AA8712840	U74900WB2015PTC207837	ट्राइकोर्न ट्रेडर्स प्राइवेट लिमिटेड
12	AA9499419	U52190WB2011PTC169943	नाथूराम गर्ग एंड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड
13	AA8617541	U51909WB2012PTC175737	अष्टभुजा एजेंसीज प्राइवेट लिमिटेड

2. इसके द्वारा यह सूचित किया जाता है कि कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 (2) के तहत कम्पनी रजिस्ट्रार को उपर्युक्त कम्पनियों के नाम कम्पनी रजिस्टर से इस आधार पर नाम हटाने का आवेदन प्राप्त हुआ है कि कम्पनी के निगमन के एक वर्ष के भीतर कारोबार आरंभ करने में विफल रहे हैं या इस आधार पर कि कम्पनी पूर्ववर्ती 2 वित्तीय वर्षों से कारोबार नहीं कर पाई है और इस अवधि के भीतर कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 455 के तहत निष्क्रिय कम्पनी की स्थिति प्राप्त करने का आदेश का आवेदन नहीं किया है या कम्पनी ने निष्क्रिय कम्पनी की स्थिति प्राप्त कर ली है, पर वे कम्पनी के रूप में पंजीकरण नहीं रखना चाहते और अतः कम्पनी रजिस्ट्रार से अपना/अपने नाम हटाने का अनुरोध किया है।

3. तदनुसार, कम्पनी रजिस्ट्रार उपर्युक्त कम्पनियों के नामों को कम्पनियों के रजिस्टर से हटाने का प्रस्ताव करता है

4. यदि किसी व्यक्ति/संस्था को कम्पनी को कम्पनी रजिस्ट्रार से कम्पनियों का नाम हटाने के प्रस्ताव से आपत्ति है तो वह व्यक्ति/संस्था इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 30 (तीस) दिनों के भीतर उपर्युक्त कार्यालय के पते पर अपनी आपत्ति भेज सकते हैं।

इरकन तिर्की

सहायक रजिस्ट्रार

प्रसंस्करण त्वरित कॉर्पोरेट निकास केंद्र